न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारीः– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.– 127/2017
जी.सी.एम.एस. : 2017/00826

1. रघुवीर सिंह पुत्र चिमन सिंह जाति रायसिख निवासी 2 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. परमजीत सिंह पुत्र चिमन सिंह जाति रायसिख निवासी 2 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

बनाम –प्रार्थी

1. मुखत्यार सिंह पुत्र चिमन सिंह जाति रायसिख निवासी 2 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री परमजीत सिंह मेहरा, वकील प्रार्थीगण
2. श्री महेन्द्र कुमार चांवरिया, वकील अप्रार्थी सं. 1

–: निर्णय :–

दिनांक : 25.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी सं. 1 की माता बलवंत कौर के नाम चक 2 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 25 के मु.नं. 29 प.नं. 266/358 की व मु.नं. 37 का प.नं. 266/359 व मु.नं. 38 का प.नं. 266/359 में कुल 1.366है. कमाण्ड मय खाला नहरी भूमि के हिस्सा में से 0.6325है. कमाण्ड मय खाला हिस्सा की भूमि को बिल मुक्ता मुबलिग 1,80,000/– प्रार्थी सं. 1 द्वारा खरीदशुदा हैं व इसी चक का खाता सं. 25 के मु.नं. 29 प.नं. 266/358 की व मु.नं. 37 का प.नं. 266/359 व मु.नं. 38 का प.नं. 266/359 में कुल 1.366है. कमाण्ड मय खाला हिस्सा में से 0.6325 है. कृषि भूमि प्रार्थी सं. 2 को बलवंत कौर द्वारा बिल मुक्ता मुबकिलग 1,80,000/– में जरिये बैयनामा दोनो वादीगण द्वारा दिनांक 06.08.2013 को जरिये बैयनामा खरीदशुदा हैं। बैयनामा उप पंजीयक रायसिंहनगर द्वारा उसकी रोज तस्दीकशुदा हैं। पटवारी हल्का द्वारा बैयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज नहीं किया। प्रार्थीगण की माता बलवनतकौर के दिनांक 19.11.2017 को फौत हो जाने के कारण उपरोक्त भूमि को विरास्तन इंतकाल दर्ज करवाने की कार्यवाही का प्रार्थीगण को ज्ञान हुआ। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा 14.12.2017 को पंचायत में धमकी दी कि वे विरास्तन इंतकाल दर्ज करवा लेंगे। अप्रार्थी प्रार्थीगण की भूमि पर काविज होकर प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहता हैं। विवादित भूमि प्रार्थी के परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र साधन हैं। यदि अप्रार्थी सं. 1 अपने इरादों में कामयाब हो जाता हैं तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित किया जाने हेतु निवेदन किया कि अप्रार्थी प्रार्थीगण की भूमि को रहन बैय हस्तांतरण करने से बाज व ममनू रहे तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में मदाखलत नहीं करें व रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] को तलब किया गया। वकील प्रार्थी के प्रार्थना करने पर अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] दिनांक 20.12.2017 को पारित की गयी। जवाब अप्रार्थी सं. [illegible] किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी [illegible] अपनी बहस में कथन किया [illegible] विवादित भूमि प्रार्थीगण की खरीदशुदा हैं। यदि अस्थाई [illegible]ज्ञा पारित नहीं की जाती [illegible] प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की विरास्तन प्राप्त भूमि हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.25 11:45:21 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने इस प्रार्थना पत्र के समर्थन में रजिस्टर्ड बैयनामा की प्रतियां पेश की गयी हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती हैं तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होने की संभावना हैं। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं कि चक 2 एलपीएम की जमांबदी संवत 2070–2073 के खाता सं. 25 के मु.नं. 29–37–38 की कुल 8.515है. कमाण्ड मय खाला भूमि में से बलवन्त कौर पत्नी चिमन सिंह के नाम दर्ज 1.366 है. भूमि में से 1.265 हैं भूमि पर मूल वाद निर्णय तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखें।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.25 11:45:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner